2025:CGHC:23911

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील क्षतिपूर्ति क्रमांक 515/2019

1– शाखा प्रबंधक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अनुपमा स्क्वायर, जगदलपुर जिला बस्तर, छत्तीसगढ़,द्वाराः प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, संभागीय कार्यालय द्वितीय तल, गुरुकृपा टावर्स, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।495001,जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़

––– अपीलार्थी

विरुद्ध

1– श्रीमती ललिता ठाकुर पति स्व. सुरेश ठाकुर, आयु लगभग 36 वर्ष व्यवसाय गृहिणी,

2– अवयस्क जयप्रकाश ठाकुर पिता स्व. सुरेश ठाकुर, आयु लगभग 15 वर्ष

3– अवयस्क कु. ममता ठाकुर पुत्री स्व. सुरेश ठाकुर,

अपीलार्थी क्रमांक 2 व 3,द्वाराः प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती ललिता ठाकुर

(प्रत्यर्थी क्रमांक 1),

4– लछमन ठाकुर (मृत्यु हो गई और नाम विलोपित किया गया),माननीय न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 04–05–2023

5– श्रीमती सुलोचना बाई पति लछमन ठाकुर,आयु लगभग 58 वर्ष,सभी निवासी ग्राम सगुनघाट,डाकघर लेदा, थाना तोंगपाल, तहसील चिंदागढ़, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़ (दावाकर्तागण)

6– सुखराम मरकाम पिता कोडाराम मरकाम ग्राम सगुनघाट पोस्ट ऑफिस लेदा पुलिस थाना तोंगपाल तहसील छिन्दागढ़ जिला सुकमा छत्तीसगढ़

–––प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.एन. नन्दे, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण क्रमांक 1 से 5 की ओर से : श्री प्रवीण धुरंधर, अधिवक्ता

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ प्रतीम साहू

बोर्ड पर आदेश

13/06/2025

1. यह अपील अपीलार्थी/बीमा कंपनी ने मोटरयान अधिनियम,1988(संक्षिप्त में '1988 का अधिनियम')की धारा 173 के अधीन दावा प्रकरण क्रमांक 85/2016 में दिनांक 18.09.2018 को पारित आक्षेपित अधिनिर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसमें विद्वान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बस्तर, जगदलपुर (संक्षिप्त में 'दावा अधिकरण') ने अधिनियम, 1988 की धारा 163–क के अधीन प्रस्तुत आवेदन में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चालक की मृत्यु के विरुद्ध कुल 5,00,000/– रुपये का क्षतिपूर्ति का अधिनिर्णय पारित किया था।

2. इस अपील के निराकरण हेतु सुसंगत तथ्य यह हैं कि मृतक के विधिक प्रतिनिधि होने के नाते दावाकर्तागण ने अधिनियम 1988 की धारा 163–क के अधीन एक आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें स्व. सुरेश कुमार ठाकुर, जिनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, की मृत्यु के कारण विभिन्न मदों में कुल 17,97,000/– रुपये के क्षतिपूर्ति का दावा किया गया था। जिसमें अभिवचन किया गया कि दिनाँक 10.06.2009 को लगभग 7.30 बजे, सुरेश कुमार, प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के स्वामित्व वाले, दुर्घटना कारित करने वाले ट्रैक्टर और ट्रॉली के चालक के रूप में कार्यरत थे। दुर्घटना की तिथि को, मृतक, प्रत्यर्थी क्रमांक 1/दुर्घटना कारित करने वाले ट्रैक्टर के स्वामी के निर्देश पर, दरभा से तोंगपाल जा रहा था। बंजारिन मंदिर रोड के पास अचानक जानवरों का एक झुंड आ गया, उन्हें बचाने के प्रयास में, वाहन खाई में गिर गया और पलट गया, जिसके परिणामस्वरूप सुरेश कुमार ठाकुर की मौके पर ही मृत्यु हो गई। यह भी अभिवाक किया गया कि दुर्घटना के समय मृतक 30 वर्ष का युवा और स्वस्थ व्यक्ति था और वाहन चालक के रूप में कार्यरत था और 3,333 रुपये प्रति माह कमाता था। दावाकर्तागण उन पर आश्रित हैं और अपने एकमात्र कमाने वाले की असामयिक मृत्यु के कारण, वे घोर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।

3. अनावेदकों/प्रत्यर्थीगण ने दावाकर्तागण के दावे का विरोध करते हुए दावा आवेदन पर अपना जवाब प्रस्तुत किया। अनावेदक क्रमांक 2/बीमा कंपनी ने दावा आवेदन पर अपने जवाब में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन से दुर्घटना होने से इनकार किया। उक्त दुर्घटना में मृतक सुरेश कुमार की मृत्यु होने से भी इनकार किया गया। यह अभिवाक किया गया कि घटना की तिथि को, दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का उपयोग यात्रियों को ले जाने के लिए किया जा रहा था और उसमें 20–25 लोग सवार थे। घटना की तिथि को, दुर्घटना कारित करने वाले वाहन मृतक द्वारा बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस, बिना

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवश्यक फिटनेस प्रमाणपत्र और परमिट के चलाया जा रहा था और बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन कर रहा था, इसलिए, बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के आदेश की क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

4. विद्वान दावा अधिकरण ने संबंधित पक्षकारों के अभिवचनों एवं अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों की विवेचना के उपरांत, दावा आवेदन को आंशिक रुप से स्वीकार किया और दावाकर्तागण को क्षतिपूर्ति के रूप में 5,00,000/– रुपये का संदाय करने का अधिनिर्णय पारित किया।

5. अपीलार्थी/बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि दुर्घटना में शामिल वाहन एक ट्रैक्टर और ट्रॉली है और यद्यपि बीमा पॉलिसी अलग से प्राप्त की गई है, फिर भी, यह किसान पैकेज पॉलिसी के अधीन प्राप्त की गई थी, न कि एक वाणिज्यिक वाहन के रूप में। दुर्घटना की तिथि को, ट्रैक्टर में लगभग 20 से 25 से अधिक बाराती सवार थे। चूँकि वाहन का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा था, इसलिए पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ है।अतः विद्वान दावा अधिकरण ने अपीलार्थी/अनावेदक क्रमांक 3 पर क्षतिपूर्ति की राशि का संदाय करने का दायित्व अधिरोपित कर घोर अवैधता की है। उनका यह भी तर्क है कि विद्वान दावा अधिकरण ने अधिनियम,1988 की धारा 163–क के अधीन प्रस्तुत एक आवेदन में 5,00,000/– रुपये की एकमुश्त राशि प्रदान की है। यह अधिनियम, 1988 की धारा 163 क के अधीन संशोधित अनुसूची पर आधारित है, जो दिनांक 22.05.2018 से प्रभावी हुई। जबकि, दुर्घटना की तिथि 10.06.2009 है, अर्थात संशोधन के लागू होने से पूर्व की है। उन्होंने अंत में तर्क किया कि चूँकि वाहन चालक की स्वयं दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चलाते समय, इसलिए अधिनियम, 1988 की धारा 163 क के अधीन आवेदन संधारणीय नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 3 व 5 के विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के तर्क का विरोध किया तथा तर्क किया कि विद्वान दावा अधिकरण ने साक्ष्यों और अभिलेख पर प्रस्तुत अभिवचनों का परिशीलन करने के उपरांत यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि अपीलार्थी/बीमा कंपनी द्वारा ट्रैक्टर के लिए किसान पैकेज पॉलिसी जारी की गई थी। साक्ष्य में, बीमा कंपनी के अधिकारी (अनावेदक साक्षी–1) ने स्वीकार किया था कि पॉलिसी एक व्यक्ति के जोखिम को आच्छादित करते हुए जारी की गई थी। आगे उनका तर्क है कि विद्वान दावा अधिकरण ने अभिलेख पर प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों की विवेचना करने के उपरांत आक्षेपित अधिनिर्णय पारित किया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7.मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

8. यह सत्य है कि ट्रैक्टर में एक व्यक्ति अर्थात् वाहन चालक के बैठने की क्षमता है और इस प्रकरण में, प्रकरण ट्रैक्टर चलाते समय वाहन चालक की मृत्यु के विरुद्ध है। विद्वान दावा अधिकरण ने छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 (संक्षिप्त में 'नियम, 1994') के नियम 97 (7) का भी संज्ञान लिया है, जिसमें मेला, बाजार, धार्मिक कार्यक्रम और विवाह तथा अन्य समारोहों के समय व्यक्ति को ले जाने की अनुमति है, बशर्ते कि इस प्रकार ले जाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या एक समय में 20 से अधिक न हो।

9. नियम, 1994 के नियम 97 (7) के प्रावधानों को सुलभ संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:–

"नियम 97. माल गाड़ी में व्यक्ति का वहन।

1. x x x x

2. x x x x

3. x x x x

4. x x x x

5. x x x x

6. x x x x

(7) उप–नियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु उप–नियम (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, औद्योगिक संगठन, नगर निगम संस्था, जलापूर्ति संस्था और गैर–कृषि सहकारी समितियों के नाम पर पंजीकृत ट्रैक्टर–ट्रेलरों को छोड़कर, जिनका भार 7300 किलोग्राम से अधिक नहीं है, ऐसे ट्रैक्टर–ट्रेलरों का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनार्थ किया जा सकेगा–

(i) कृषि या कृषि से संबंधित किसी भी प्रयोजनार्थ मजदूरों और कृषक के परिवार के सदस्य को ले जाने के लिए, जिसमें कृषि वस्तुओं की बिक्री और खरीद भी शामिल है।

(ii) मेला, बाजार, धार्मिक समारोह, विवाह और अन्य समारोहों के समय व्यक्तियों को ले जाने के लिए, बशर्ते कि इस प्रकार ले जाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या एक समय में 20 से अधिक नहीं होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. विद्वान दावा अधिकरण ने उपर्युक्त प्रावधानों को विचार में रखते हुए यह भी अभिलिखित किया है कि अपीलार्थी/बीमा कंपनी यह साबित नहीं कर पाई कि दुर्घटना के समय, ट्रैक्टर से जुड़ी ट्रॉली पर 20 से अधिक व्यक्ति ले जा रहे थे, जो साक्ष्यों के आधार पर है, इसलिए इसे विकृत नहीं कहा जा सकता। उपर्युक्त तथ्यों और अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों, साथ ही नियम, 1994 के नियम 97 के आधार पर,

विद्वान दावा अधिकरण ने यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि पॉलिसी की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था।

11. इस न्यायालय ने **कुंभ लाल पटेल व अन्य विरुद्ध जग्गू राम व अन्य, 2018 में 1 सीजीएलजे 250** में प्रकाशित प्रकरण में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:–

> "14. इसी तरह के विवाद्यक से संबंधित राष्ट्रीय बीमा कंपनी लि. विरुद्ध सरवनलाल व अन्य, 2004(4)एमपीएचटी 404 (युगलपीठ) के प्रकरण में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की युगलपीठ ने बीमा कंपनी की अपील को खारिज कर दिया था। खंडपीठ का यह निर्णय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती पुष्पा देवी व अन्य विरुद्ध कमल सिंह व अन्य, 2001(3) एमपीएलजे 548 के प्रकरण में पारित युगलपीठ के निर्णय पर आधारित था, जिसमें यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि जब यह पाया जाता है कि मृतक ट्रैक्टर ट्रॉली में विवाह समारोह के सदस्यों के रूप में यात्रा कर रहे थे, जिसका उपयोग कृषि प्रयोजन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजनार्थ किया जा रहा था, जिसके लिए उसका बीमा किया गया था, तो बीमाकर्ता, नियम 1994 के नियम 97 के खंड 7 के अनुसार, दावाकर्तागण को क्षतिपूर्ति संदाय करने हेतु उत्तरदायी है। इसी प्रकार का विचार इस न्यायालय द्वारा बिसुन सिंह व अन्य विरुद्ध रत्नी देवी व अन्य (एमएसी क्रमांक 657, 2012 व एक अन्य संबंधित प्रकरण, दिनाँक 01.08.2017 को निर्णय लिया गया है।)
>
> 15. उपरोक्त कारणों से, इस न्यायालय का अभिमत है कि बीमा कंपनियों को दोषमुक्त करने वाला आक्षेपित अधिनिर्णय उचित, वैध या न्यायसंगत नहीं था। इसे तदनुसार संशोधित किए जाने योग्य है एवं एतद्द्वारा यह संशोधित व अभिनिर्धारित किया जाता है कि क्षतिपूर्ति राशि स्वामी, वाहन चालक तथा उन दोनों बीमा कंपनियों जिन्होंने ट्रैक्टर और ट्रॉली का बीमा किया था द्वारा संयुक्त एवं पृथक रुप से संदेय होगी । ट्रैक्टर और ट्रॉली का बीमा करने वाली दोनों बीमा कंपनियां दावाकर्तागण को क्षतिपूर्ति के संदाय का दायित्व समान रूप से साझा करेंगी।

12. उपरोक्त निर्णय में भी, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग विवाह के प्रयोजन से 20 व्यक्तियों को ले जाने के लिए किया जा सकता है और इस तथ्य के प्रमाण के अभाव

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

में कि दुर्घटना के समय, ट्रॉली में 20 से अधिक व्यक्ति सवार थे, अपीलार्थी/बीमा कंपनी को बीमित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत तथ्यों और साक्ष्यों, नियम 1994 के नियम 97 के प्रावधानों और **कुंभ लाल पटेल** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए, मेरा यह विचार है कि विद्वान दावा अधिकरण ने यह निष्कर्ष अभिलिखित करने में कोई त्रुटि नहीं की है कि बीमा पॉलिसी की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। तदनुसार, उक्त निष्कर्ष की पुष्टि की जाती है।

13. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया दूसरा आधार यह था कि विद्वान दावा अधिकरण को संशोधित प्रावधान के आधार पर 5,00,000/– रुपये का क्षतिपूर्ति अधिनिर्णीत नहीं करना चाहिए था, जो दुर्घटना के काफी उपरांत आया था। जहां तक दुर्घटना का संबंध है, इस विवाद्यक को माननीय उच्चतम न्यायालय ने **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध उर्मिला हलदर 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 4983** में प्रकाशित प्रकरण में स्थापित किया एवं निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "4. इस न्यायालय के समक्ष संक्षिप्त अवधारणीय बिंदु यह है कि क्या मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 163–क में संशोधन, जो 22 मई, 2018 को राजपत्र अधिसूचना द्वारा लागू हुआ, उक्त तिथि से पूर्व हुई किसी दुर्घटना से संबंधित होगा।
>
> 10. उच्च न्यायालय के आदेश पर अच्छी तरह से विचार किया गया है और हम इस दृष्टिकोण से सहमत हैं। यद्यपि, हम यह भी जोड़ सकते हैं कि एक लाभकारी विधान में किसी विशिष्ट प्रतिबंध के अभाव में लाभ का संदाय दावाकर्तागण को किया जाना अनिवार्य है। वर्तमान प्रकरण में, अपीलार्थी–बीमा कंपनी के दायित्व में हस्तक्षेप नहीं किया गया है। केवल गणना पद्धति और तौर–तरीके को और स्पष्ट किया गया है, जिसे उच्च न्यायालय ने सही रूप से उल्लेख किया है और तदनुसार, दावे को बढ़ाकर रु. 5,00,000/– (रुपये पाँच लाख) कर दिया गया है। चूँकि इस न्यायालय द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि का 50% स्थगित कर दिया गया था, अतः इसे आक्षेपित निर्णय के अनुसार प्रत्यर्थी को आठ सप्ताह के भीतर संदाय किया जाए।"

14. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के दृष्टिगत, अपीलार्थी/बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता का उक्त निवेदन संधारणीय नहीं है और मुझे विद्वान दावा अधिकरण के उस आक्षेपित अधिनिर्णय, जिसमें

संशोधित प्रावधानों को लागू करते हुए अधिनियम, 1988 की धारा 163 क, जो दिनाँक 22.05.2018 को लागू हुआ के अधीन एक आवेदन पर दावाकर्तागण को 5,00,000/– रुपये का क्षतिपूर्ति अधिनिर्णीत किया गया था, में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होता है।

15. जहाँ तक अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का अंतिम तर्क है कि अधिनियम, 1988 की धारा 163–क के अधीन आवेदन संधारणीय नहीं है, **यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध सुनील कुमार व अन्य,** (2019) 12 **एससीसी 398** में पारित निर्णय के दृष्टिगत भी पोषणीय नहीं है। वर्तमान प्रकरण में, यह दावा वाहन चलाते समय दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चालक की मोटर दुर्घटना में हुई मृत्यु के विरुद्ध है। धारा 163–क के अंतर्गत प्रस्तुत दावे में, उपेक्षा साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

16. उपर्युक्त विश्लेषणों के आधार पर मुझे इस अपील में कोई सार प्रतीत नहीं होता और तदनुसार, यह अपील सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है एवं एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. प्रत्यर्थीगण/दावाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वह प्रस्तुत प्रति–अपील पर बल नहीं दे रहे हैं। तदनुसार, दावाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत प्रति–अपील बल नहीं दिए जाने के कारण खारिज की जाती है।

सही/–

(पार्थ प्रतीम साहू)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**